संख्या वे०आ०-2-1371/दस-59(एम)-2008

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2009

विषय :– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2(ब) पर उपलब्ध तालिका में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद रु० 2550–3200, 2610–3540 तथा 2650–4000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एस (4440-7440 रुपये) के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 1300, 1400 तथा 1650 में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का समावेश होने से छूट गया है। अतः राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्न–2(ब) की तालिका में वेतन बैण्ड–1 के ऊपर इस शासनादेश से संलग्न तालिका का समावेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या वे०आ०-2-1371(1)/दस-59(एम)-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6–निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ० प्र०।
8–उ० प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9–इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10–गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1371 / दस-59(एम)-2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 का संलग्नक।

वेतन बैण्ड–1एस (4440–7440 रुपये)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
1300	4750	6050
1400	4860	6260
1650	4930	6580

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 99 सा० वित्त (हि०)–6–1–2009–(1748)–5,000 (क० / आ०)।